न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 188 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 308)

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1. सोना देवी पुत्री बस्ती राम पत्नी भानी राम निवासी वार्ड नम्बर 5 चक 58 जीबी रामसिंहपुरा जिला अनुपगढ। 2. पपली देवी पुत्री बस्तीराम पत्नी हंसराज निवासी वार्ड नम्बर 1 वीपीओ 2 एच बडा, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 04.10.2024

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 18.11.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 40/40 की कुल 6.664 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता में वादीगण एंव अन्य सहखातेदारान के नाम से दर्ज है। राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है और उनको अपने पिता बस्ती राम से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में वादीगण का घरेलू नाम क्रमशः शाना व पप्पल अंकित है, जबकि वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम क्रमशः सोना देवी व पपली देवी है। वादीगण के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 40/40 की कुल 6.664 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के दर्ज नाम शाना के स्थान पर सोना देवी व पप्पल के स्थान पर पपली देवी दर्ज करने के आदेश दिये जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3401 दिनांक 11.11.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। उपस्थितजनों ने बताया कि सोना देवी व शाना देवी एक ही महिला के नाम है। इसी प्रकार पपली देवी व पप्पल देवी भी एक ही महिला के नाम है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 40/40 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 40/40 में वादीगण के दर्ज नाम शाना पुत्र बस्तीराम के स्थान पर सोना देवी पुत्री बस्तीराम व पप्पल पुत्र बस्तीराम के स्थान पर पपली देवी पुत्री बस्तीराम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। उपस्थितजनों ने बताया कि सोना देवी व शाना देवी एक ही महिला के नाम है। इसी प्रकार पपली देवी व पप्पल देवी भी एक ही महिला के नाम है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 40/40 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम शाना पुत्र बस्तीराम के स्थान पर सोना देवी पुत्री बस्तीराम व क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम पप्पल पुत्र बस्तीराम के स्थान पर पपली देवी पुत्री बस्तीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलाससुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सोना देवी आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **188/2024**
निर्णय दिनांक :- 18.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 40/40 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम शाना पुत्र बस्तीराम के स्थान पर सोना देवी पुत्री बस्तीराम व क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम पप्पल पुत्र बस्तीराम के स्थान पर पपली देवी पुत्री बस्तीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 18.11.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर
दिनाकः 18.11.2024

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2024/592
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर